



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221739
CG-DL-E-16092020-221739

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2795]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942

No. 2795]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

का.आ. 3143(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के भरुच जिले में प्रसतावित वडोदरा - मुंबई एक्सप्रेसवे के डिजाइन चैनेज कि.मी. 324.500 से कि.मी. 262.00 तक के भू-खण्ड के निर्माण (6-लेन/8-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी भरुच को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के भरुच जिले में प्रस्तावित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के डिजाइन चैनेज कि.मी. 324.500 से कि.मी. 262.00 तक (वडोदरा - मुंबई खंड) के लिए अधीक अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: भरुच			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: अंकलेश्वर					
गांव का नाम: अडोल					
1	878	निजी	एग्रीकल्चर	0.4839000(हेक्टेयर)	0.4839000
2	60	निजी	एग्रीकल्चर	0.1163000(हेक्टेयर)	0.1163000
गांव का नाम: करमाली					
1	58	निजी	एग्रीकल्चर	1.2650000(हेक्टेयर)	1.2650000
तालुक का नाम: भरुच					
गांव का नाम: हिंगलोट					
1	160	निजी	एग्रीकल्चर	0.0637000(हेक्टेयर)	0.0637000
कुल				1.9289	1.9289

[फा. सं. NHAI/Surat/15/3A3]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2020

S.O. 3143(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Six / Eight laning, etc.), maintenance, management and operation of Proposed Vadodara – Mumbai Expressway, on the stretch of land from design chainage Km. 324.500 to Km. 262.000 (Vadodara – Mumabi Section) in the district of BHARUCH in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any, person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, COMPETENT AUTHORITY AND SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER, BHARUCH in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land design chainage Km. 324.500 to Km. 262.000 (Vadodara – Mumbai Section) of the Proposed Vadodara – Mumbai Expressway, in the district of BHARUCH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: BHARUCH			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Ankleshwar					
Village: Adol					
1	878	Private	Agriculture	0.4839000(Hectare)	0.4839000
2	60	Private	Agriculture	0.1163000(Hectare)	0.1163000
Village: Karmali					
1	58	Private	Agriculture	1.2650000(Hectare)	1.2650000
Taluk: Bharuch					
Village: Hinglot					
1	160	Private	Agriculture	0.0637000(Hectare)	0.0637000
Total				1.9289	1.9289

[F. No. NHAI/Surat/15/3A3]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.